

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

तहसील-बरसी, जिला-चित्तौड़गढ़
ग्राम पंचायत-अमरपुरा दिनांक-3 Oct-25

ग्राम सेवा शिविर 2025 अभियान

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बरसी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

दिनांक:- 3/10/2025

क्रमांक:- भू.अ./2025/24

प्रेषित,


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री सोहन लाल कोटा पिता/पति श्री गोगराज कोटा निवासी प्रासध पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम अमरपुरा में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 8 में सोहन लाल पिता/पति श्री गोगराज कोटा जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम सोहन लाल पिता/पति श्री गोगराज कोटा दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम सोहन लाल पिता/पति श्री गोगराज कोटा का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।


तहसीलदार (भू.अ.)
बरसी
जिला-चित्तौड़गढ़(राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

दिनांक:- 4/10/2025

क्रमांक:-रीडर/2025/779

निमित,

पटवार हल्का अमरपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री सोहन लाल कोटा पिता/पति श्री गोगराज कोटा राजस्व अमरपुरा हल्का अमरपुरा की खाता संख्या 8 में जाति/नाम सोहन लाल पिता/पति श्री गोगराज कोटा दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बरसी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री सोहन लाल कोटा पिता/पति श्री गोगराज कोटा की जाति/नाम सोहन लाल पिता/पति श्री गोगराज कोटा एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बरसी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

24

24

ग्राम सेवा शिविर 2025 अभियान

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री सोहन लाल पिता/मति श्री गोगाराज बेग

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बस्सी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री सोहन लाल पिता/मति श्री गोगाराज बेग निवास पालख का/की हुं/हैं।

मेरे हमारे पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम सुरपुरी में खाता संख्या 8 किता 10 रकबा 3.44 है। भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम सोहन लाल पिता/पति श्री गोगाराज बेग दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में सोहन लाल पिता/पति श्री गोगाराज बेग दर्ज करवाना चाहती हू/चाहता हूँ।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम बेग पिता/पति श्री के बजाय बेग पिता/पति श्री दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 3/10/2025

सोहन लाल हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री सोहन लाल बेग पिता/पति श्री गोगाराज बेग निवासी पालख के राजस्व ग्राम सुरपुरी पटवार हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 8 में प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में सोहन लाल पिता/पति श्री गोगाराज बेग दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनो जातियों एक ही श्रेणी की है/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

पटवारी

पटवार मण्डल सुरपुरी
तह. वरसी, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

3.10.25
हस्ताक्षर भू.अ.नि.विजयपुर